<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील डिक्री/टीए/5028/2003/जैसलमेर</u>

1– राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार नाचना–2 जिला जैसलमेर

–अपीलांट्

–बनाम–

1– उत्तमसिंह पुत्र श्री जयसिंह मृतक जरिये विधिक वारिसान–
1/1 सूरजकंवर पत्नी उत्तमसिंह
1/2 जेठूसिंह
1/3 साकूकंवर | पुत्र/पुत्रियां उत्तमसिंह
1/4 गोमती
1/5 मग सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी अवाय तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

<u>खण्ड–पीठ</u>
श्री आर0 डी0 मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः–
श्री श्रीनिवास बेनिवाल, उप राजकीय अभिभाषक
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः–14–07–2025

1– अपीलांट्स् ने यह द्वितीय अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर के निर्णय दिनांक 02–07–2003 व डिक्री दिनांक 18–09–2003 जिसके द्वारा अपीलांट् की अपील को विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट्स/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपयुक्त उपनिवेशन, इगानप नाचना के समक्ष वादग्रस्त भूमि अवाय तहसील पोकरण के खसरा नम्बर 323 रकबा 9 बीघा, 322 रकबा 11 बीघा तथा ग्राम नाचना के खसरा नम्बर 2537 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा, 2534 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा

नम्बर 2533 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 2532 रकबा 4 बीघा भूमि एवं चक नम्बर 5-6 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 82/12, 82/13, 82/14, 82/05, 82/06, 62/54, 62/62, 62/63, 62/55 व 82/07 कुल रकबा 56 बीघा भूमि के बाबत् एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 15 AAA 2(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व अन्तर्गत धारा 125 व 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 26-12-2002 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट्/वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादी को वादग्रस्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट्/प्रतिवादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर के समक्ष अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02-07-2003 व डिक्री दिनांक 18-09-2003 को अपीलांट्/प्रतिवादी की अपील को विधि विरूद्ध तरीके से मात्र सरसरी तौर पर बिना दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच किये अपील को खारिज किया गया, से व्यथित होकर अपीलांट्/प्रतिवादी द्वारा उक्त द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4- विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस करते हुए कथन किया कि अपील के तथ्यों में वर्णित वादग्रस्त आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट्/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपयुक्त उपनिवेशन, इगानप नाचना के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 15 AAA 2(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व अन्तर्गत धारा 125 व 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट्/वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने पर अपीलांट् द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट् की अपील को खारिज करने में विधि एवं कानून संबंधी त्रुटि कारित की है। जबकि पुख्ता बन्दोबस्त के समय रेस्पोडेन्ट् का जिस भूमि पर कब्जा काश्त रहा था वह भूमि पुख्ता बन्दोबस्त के समय रेस्पोडेन्ट् श्री उत्तमसिंह का ग्राम नाचना के खसरा नम्बर 2535 (हेमावाली) रकबा 57.10 बीघा भूमि ही कब्जा काश्त रहा है, जो रेस्पोडेन्ट् के गैर खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। इसके अलावा अन्य खसरा नम्बरान पर रेस्पोडेन्ट्स का कब्जाकाश्त रहा होता तो पुख्ता बन्दोबस्त के समय रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट् का नाम दर्ज रिकार्ड होता। ग्राम नाचना के पुख्ता बन्दोबस्ती खसरा

नम्बर 2532, 2533, 2534, 2537 व ग्राम अवाय के खसरा नम्बर 323, 324 समरी सैटलमेंट के समय व पुख्ता बन्दोबस्त के समय ही आराजीराज दर्ज थे। इस प्रकार संवत् 2012 से आदिनांक तक रेस्पोडेन्ट् का वैध कब्जाकाश्त नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट् विवादित कृषि भूमि की रिकार्ड की स्थिति बतलाये बिना वाद लाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि समरी सैटलमेंट में दर्ज भूमि का विचारण न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित भूमि से किसी भी प्रकार का तुलनात्मक संबंध नहीं है नाही जिसकी पुष्टि में मिलान क्षेत्रफल की नकल रेस्पोडेन्ट् के द्वारा प्रस्तुत की गई है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत किसी भी कृषक को खातेदारी एवं गैर खातेदारी अधिकार तभी प्राप्त होते है जब उसका नाम संवत् 2012 से जमाबंदी (रिकार्ड ऑफ राईट्स) के अनुसार किये गये पुख्ता बन्दोबस्त की जमाबंदी में निहित हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत जाकर वादी/रेस्पोडेन्ट् का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित करने में विधि एवं कानून संबंधी त्रुटि कारित की गई है। जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 02-07-2003 व डिक्री दिनांक 18-09-2003 के माध्यम से मात्र सरसरी तौर विधि विरूद्ध तरीके से की गई। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा अपीलांट् की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट्/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 15 AAA 2(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व अन्तर्गत धारा 125 व 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पेश करते हुए आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग करते हुए कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट् ग्राम अवाय तहसील पोकरण का मूल निवासी एवं पेशे से काश्तकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व भूमि संबंधी कोई राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। संवत् 2012-2013 में समरी सैटलमेंट हुआ एवं इसके बाद ग्राम अवाय के खसरा नम्बर 488 से 496 कुल रकबा 230 रेस्पोडेन्ट् के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुआ। तत्पश्चात् बन्दोबस्त विभाग द्वारा रेस्पोडेन्ट् को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये आराजी जैर को सिवायचक दर्ज किया गया। जबकि खसरा नम्बर 496 रकबा 92 बीघा हेमावाला डेहर रेस्पोडेन्ट् के कब्जा काश्त में संवत् 2012 के पूर्व से लगातार कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट् द्वारा हजारों रूपये लगाकर उक्त भूमि को सुधारा गया है। रेस्पोडेन्ट् सरकार को बीगोड़ी अदा की गई है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् द्वारा आगे कथन

किया गया कि राजस्थान केनाल क्षेत्र में अधिनियम की धारा 15 AAA 2(क) के अनुसार रेस्पोडेन्ट् भूतपूर्व जागीरदार नाचना के कृषक की हैसियत रखते थे और उन्हें ट्रान्सफरेबल व हेरीटेबल अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्/वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के मुश्तहक होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों अनुसरण में विधि अनुसार निर्णय व डिक्री दिनांक 26-12-2002 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट्/वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादी को वादग्रस्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट्/प्रतिवादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों की जांच करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि करते हुए विधि सम्मत मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 AAA 2(क) के प्रावधानों के तहत ऐसे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधानों के अनुसरण में अपीलांट् की अपील खारिज की गई। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्य एवं दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्यों के अनुसरण में निर्णय व डिक्री पारित किये गये हैं। लिहाजा अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील के माध्यम से भी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट्स् की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखे जावे।

6- विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य मे अध्ययन किया गया।

7- प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपयुक्त उपनिवेशन, इगानप नाचना के समक्ष वादग्रस्त भूमि अवाय तहसील पोकरण के खसरा नम्बर 323 रकबा 9 बीघा, 322 रकबा 11 बीघा तथा ग्राम नाचना के खसरा नम्बर 2537 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा, 2534 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2533 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 2532 रकबा 4 बीघा भूमि एवं चक नम्बर 5-6 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 82/12, 82/13, 82/14, 82/05, 82/06, 62/54, 62/62, 62/63, 62/55 व 82/07 कुल रकबा 56 बीघा भूमि के बाबत् एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 15 AAA 2(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व अन्तर्गत धारा 125 व 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पेश करते हुए आराजी जैर बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 26-12-2002 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट्/वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादी को वादग्रस्त आराजी

का गैर खातेदार घोषित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट्/प्रतिवादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर के समक्ष अपील किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02-07-2003 व डिक्री दिनांक 18-09-2003 को अपीलांट्/प्रतिवादी की अपील को विधि विरूद्ध तरीके से अपील को खारिज किया गया, से व्यथित होकर अपीलांट्/प्रतिवादी द्वारा उक्त द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

8- प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् समवर्ती मत व्यक्त किये जाने की स्थिति में राजस्व मण्डल जोकि राजस्व मामलों की उच्चतर (Apex Court) न्यायालय है, के स्तर पर द्वितीय अपील के माध्यम से आराजी जैर के बाबत् प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, मौखिक एवं लिखित साक्ष्यों के अनुसरण में विधि के परिप्रेक्ष्य में अभिमत व्यक्त किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न वादपत्र/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वादी/रेस्पोडेन्ट् बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के मुश्तहक है अथवा नहीं? हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से ही रेस्पोडेन्ट् को गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड मानते हुए वादग्रस्त आराजी जैर का गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। जबकि आराजी जैर के संबंध में वादी/रेस्पोडेन्ट् द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी (Records of right) का अवलोकन किया। पत्रावली पर जमांबदी संवत् 2016 से रिकार्ड उपलब्ध है जिसमें रेस्पोडेन्ट् का नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड अंकित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए जमाबंदी संवत् 2012 से काबिज काश्त होना आवश्यक है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट् द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे प्रमाणित हो सके कि रेस्पोडेन्ट् आराजी जैर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही काबिज काश्त रहे हो व रेस्पोडेन्ट् बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के मुश्तहक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर बाबत् रेस्पोडेन्ट् को गैर खातेदार दर्ज करने में विधि एवं कानून संबंधी त्रुटि कारित की है। दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि जिन खसरा नम्बरान् के बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग की गई उसके पुराने खसरा नम्बर कैसे परिवर्तित होकर रेस्पोडेन्ट् के नाम दर्ज रिकार्ड हुए? इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में वादी/रेस्पोडेन्ट् द्वारा खसरा नम्बर 2537, 2534, 2533, 2532 ग्राम नाचना एवं खसरा नम्बर 323 व 324 ग्राम अवाय जिसके दौराने चकबंदी चक 5-6 जेडब्ल्यूएम पैमूद होने का

कथन करते हुए मुरब्बा नम्बर 82/12, 82/13, 82/14, 82/5, 82/6, 62/54, 62/62, 62/63, 62/55 व 82/07 के कुल रकबा 56 बीघा कमाण्ड भूमि के बाबत् खातेदारी अधिकारों की मांग की गई है। वादी द्वारा साबिका खसरा नम्बर एवं वर्तमान चक नम्बर के मिलान हेतु सूची नम्बर 4 अथवा मिलान क्षेत्रफल न्यायालय के समक्ष बतौर साक्ष्य जिससे यह जाहिर हो सके कि साबिका खसरा नम्बर प्रस्तुत नहीं किया गया है। 2537, 2534, 2533, 2532 ग्राम नाचना एवं खसरा नम्बर 323 व 324 ग्राम अवाय के वर्तमान चक 5-6 जेडब्ल्यूएम पैमूद हुए है। उपरोक्त खसरा नम्बर बन्दोबस्ती के समय से ही आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रभावशीलता के समय से अर्थात् संवत् 2012 या उससे पूर्व कब्जेकाश्त के संबंध में कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यहां यह अभिलिखित किया जाना भी समीचिन होगा कि कालान्तर में आराजी जैर पर काबिज रहने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पोडेन्ट् के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के तहत अतिक्रमी मानते हुए समय-समय पर बेदखली के नोटिस भी जारी किये गये है। जिससे यह जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट् का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रहा भी है तब भी वह कब्जा बतौर अतिक्रमी होना जाहिर है। इसी क्रम में उल्लेखनीय यह भी है कि पत्रावली के साथ संलग्न प्रदर्श-10 जोकि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान की छायाप्रति है, में वादी उत्तमसिंह को खसरा नम्बर 2535 रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा ग्राम हेमावाली का गैर खातेदार एवं खसरा नम्बर 2537 रकबा 271 बीघा 2 बिस्वा सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। भू-प्रबंध विभाग को केवल मात्र पूर्व के इन्द्राजात की दोहराने की शक्तियां प्राप्त है। किसी प्रकार के नवीन इन्द्राजात् की अधिकारिता भू-प्रबंध विभाग को हासिल नही है। प्रकरण में भू-प्रबंध विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2535 रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा ग्राम हेमावाली का वादी उत्तमसिंह के नाम गैर खातेदारी अंकित की गई है। उक्त अंकन किस सक्षम आदेश से किया गया है। इसका हवाला पर्चा लगान में नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर के बाबत् दौराने भू-प्रबंध गैर खातेदारी का अंकन विधि विरूद्ध किया जाना स्पष्ट है।

9- प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्/वादी द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड यथा मिलान क्षेत्रफल/सूची नम्बर 4 आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें यह जाहिर हो सके कि साबिका खसरा नम्बर 2535 रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा के वर्तमान चक 5-6 जेडब्ल्यूएम पैमूद हुए हो। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी जैर सिवायचक दर्ज होने से पूर्व रेस्पोडेन्ट् नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड किसी सक्षम आदेश से रही हो, इस संबंध में भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर बतौर साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून से परे जाकर रेस्पोडेन्ट् को आराजी जैर

बाबत् गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अनावश्यक रूप से धारा 15 AAA का सहारा लेते हुए मात्र सरसरी तौर पर बिना दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच किये विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर की गई। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर व्याख्या की गई है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने से अपीलांट् की हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है किः- अपीलांट् की द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर के निर्णय दिनांक 02-07-2003 व डिक्री दिनांक 18-09-2003 एवं उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना का निर्णय व डिक्री दिनांक 26-12-2002 अपास्त किये जाते हैं। निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों को दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर0 डी0 मीणा)
सदस्य